मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 42/2021
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ-226010
दिनांकः नवम्बर 02, 2021

विषयः—क्रि0मिस बेल एप्लीकेशन सं0—11009/2020 कन्हैया अवस्थी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2021 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित समयसीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा—निर्देश पार्श्वांकित डी0जी0 परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है, किन्तु जनपद स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन सं0—11009/2020 कन्हैया अवस्थी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.10.2021 में जमानत प्रार्थना पत्रों में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के विषय में सही तथ्य मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर निम्नवत टिप्पणी की गयी है:—

अ0शा0पत्र सं0—डीजी—वि0प्र0—मिस—168/2021
दिनांक 26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0—24/2021 दि0 26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0—37/2020 दि0 22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0—51/2019 दि0 05.12.2019
डीजी परिपत्र सं0—24/2018 दि0 24.05.2018
डीजी परिपत्र सं0—11/2017 दि0 22.05.2018
डीजी परिपत्र सं0—24/2016 दि0 10.06.2021

> However, before parting with the judgment, it is noteworthy to mention here that the conduct of the Circle Officer concerned also cannot be overlooked as the fact of conviction of the applicant in S.T. No. 478 of 2007 (supra) has not been disclosed in the counter affidavit.
>
> Considering the above facts and discussions, Senior Registrar of this Court is directed to provide photocopies of the bail application, counter affidavit filed by Circle Officer, P.S. Bangarmau, District Unnao, counter affidavit filed by the complainant as also the rejoinder affidavit filed by the applicant along with this order to Director General of Police, U.P. forthwith, who, in turn, shall look into the

matter and find out that under what circumstances, the Case Crime No. 968A of 2003, under Sections 324, 307/34 I.P.C., P.S. Gangaghat, District Unnao, is not mentioned in the counter affidavit, in which, applicant was already convicted, and while doing so, shall also issue necessary directions for not repeating such dereliction, in future, in other cases and file affidavit of compliance.

अतः आप सभी को स्पष्टतया यह निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रेषित की जाने वाली प्रस्तरवार आख्याओं में अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास का पृथक–पृथक उल्लेख अंकित कराने तथा अपराध से सम्बन्धित पूर्ण विवरण समय से शासकीय अधिवक्ता कार्यालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त के आपराधिक इतिहास तथा महत्वपूर्ण तात्विक तथ्यों का अपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है तथा अपराध की प्रकृति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करने में शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय

(मुकुल गोयल)

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उ0प्र0।